



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास व 25,000-25,000 /-रुपये (कुल-75,000 /-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 08-01-2026 को मा0 न्यायालय द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में 03 अभियुक्तों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—

- दिनांक 24.11-2016 को अभियुक्तगण 1-परशुराम पुत्र शिवचरण 2. अमित पुत्र परशुराम 3. अनुज पुत्र परशुराम निवासीगण ग्राम दस्तोई थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 894 / 2016 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.02.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 08-01-2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000-25,000 /-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री आशीष कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सतवीर सिंह एवं पैरोकार म0का0 मधु व कोर्ट मोहरीर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा।

